रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-851/22-2-2014-17(266)/2009

लखनऊ: दिनांक: 18 नवम्बर, 2015

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, बरेली** के सिद्धदोष बन्दी **रियासत (बन्दी संख्या-35740) पुत्र सखावत निवासी ग्राम-पसियापुरा, थाना-टाण्डा, जनपद-रामपुर जिन्हे सत्र परीक्षण संख्या-275/1997** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-302/149, 148** के अधीन **मा0 प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रामपुर** द्वारा दिनांक 04-09-2000 को **आजीवन कारावास** का दण्ड दिया गया था तथा बन्दी द्वारा दिनांक 28-02-2014 तक काटी गयी 16 वर्ष, 08 माह, 22 दिन की अपरिहार सजा एवं 21 वर्ष, 02 माह, 20 दिन की सपरिहार सजा को दृष्टिगत रखते हुए बन्दी के नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को **जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर** के सन्तोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

2- यह आदेश क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी0 श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय,नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23-07-2015 के प्रस्तर-7 के अन्तर्गत अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

पलबिन्दर सिंह
उप सचिव।

संख्या-851(1)/22-2-2014 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2-जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर।

3-पुलिस अधीक्षक, रामपुर।

4-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

5-कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

6-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पलबिन्दर सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in